संख्या–17 /02–XXVI/2004

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग। देहरादून: दिनांक: 23 फरवरी, 2005

विषयः– अर्थ एवं संख्या निदेशालय हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–641/ले0पु0/04–05 दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–449/02–XXVI/2004 दिनांक 10 अगस्त, 2004 एवं शासनादेश सं0–452/02–XXVI/2004 दिनांक 25 अगस्त, 2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहनेका निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय संलग्न बी0एम0–15 पर अंकित विवरणानुसार अर्थ एवं संख्या निदेशलय हेतु निम्न मदों में कुल रूपये 65,000.00 — (रूपये पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्यावर्तन द्वारा आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न प्रतिबंधों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क0सं0	मद का नाम	धनराशि (रूपयों में)
1	05–स्थानांतरण यात्रा व्यय	65,000/–
	योगः–(रूपये पैंसठ हजार मात्र)	65,000/–

1– उक्त धनराशि केवल उन्हीं मदों पर व्यय की जायेगी जिनके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

2– स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

3– यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृति धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकता अनुसार ही व्यय किया जायेगा तथा व्यय का विवरण यथासमय प्रत्येक माह बी0एम0–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5– यह सुनिश्चित किया जाय कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में अब तक जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

6– उक्त मद मितव्ययता की मद है इसमें व्यय सीमित रखते हुए कटौती किये जाने का प्रयास किया जाय ।

7– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में अनुदान –07 के अधीन लेखाशीर्षक–3454–जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान–05–स्थानांतरण यात्रा व्यय " के नामे डाला जायेगा ।

8– यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–387/वि0अनु0–3/2004 दिनांक 15 फरवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 19 (1)/02–XXVI/2004,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन ।
4– समन्वयक,राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,सचिवालय परिसर, देहरादून ।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

C:\Bhan\03-20 P.P Plg-04

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3

संख्या– (1)/वि0अनु0–03/2004
देहरादून: दिनांक: 23, ~~जनवरी~~ मार्च, 2005

पुर्नविनियोग स्वीकृत।

(के0सी0 मिश्र)
अपर सचिव ।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

संख्या– 19 /02–XXVI /2004–05, तद्दिनांक ।

प्रेषित:– प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग,माजरा, देहरादून।
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–03, उत्तरांचल शासन ।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव ।

आय-व्ययक प्रपत्र-15

पुनर्विनियोग-2004-05 विवरण पत्र

प्रशासनिक विभाग- नियोजन विभाग । नियन्त्रक अधिकारी- सचिव, नियोजन । आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रुपये में) अनुदान संख्या-07

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक सदवार अव्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्षके शेष अवधिमें अनुमानित व्यय	अवशेष धनराशि (सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -01 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03- अर्थ एवं संस्था अधिष्ठान-26-मशीन एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र- 300	—	—	300 (क)	3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनेत्तर 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-अर्थ एवं संस्था अधिष्ठान- 05-स्थानांतरण यात्रा व्यय- 65 (ख)	155	235	(क) आवश्यकता न होने के कारण । (ख) अधिक आवश्यकता होने एवं उसके विपरीत बजट प्राविधान कम होने के कारण ।
योग	—	—	300	300	155	235	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग के बजट मैनुअल के परिच्छेद- 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव ।